कायालय जिला आपदा पबन्धन पाधिकरण, ऊधमसिह नगर।

<u>रूचि को अभिव्यक्ति आमत्रण (EOI) सचना</u>

जनपद क समस्त तहसोला क गाम तथा विद्यालय म आपदा पबन्धन पशिक्षण, जन जागरूकता एव माक डिल तथा गाम एव विद्यालय स्तरोय आपदा पबन्धन कायय‌ाजनाए विकसित किय जान हत स्वयसवो सस्थाआ हत पनः आमत्रित को जातो ह। इच्छक स्वयसवो सगठना द्वारा उपराक्त क सम्बन्ध म समस्त जानकारो तथा रूचि को अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTEREST “EOI”) पारूप पपत्र जनपद आपदा पबन्धन पाधिकरण, ऊधमसिह नगर स दिनाक 30.01.2016 स दिनाक 09.02.2016 तक किसो भो काय दिवस म पातः 10:00 स 12:00 बज तक ₹ 200/– नकद भगतान कर पाप्त एव जमा किय जा सकग।

उक्त सचना स सम्बन्धित रूचि को अभिव्यक्ति (EOI) पारूप जनपद को वबसाइट www.usnagar.nic.in/disaster management स भो डाउनलाड किय जा सकत ह, जिसक साथ ₹ 200/–का बक डाफ्ट जिलाधिकारो/अध्यक्ष, जनपद आपदा पबन्धन पाधिकरण, ऊधमसिह नगर क नाम दय हागा।

उक्त वणित काय शासन स धनराशि पाप्त हान क उपरान्त हो सचालित किय जायग तथा स्वच्छिक सगठना क चयन हत समिति का निणय अन्तिम हागा।

(अक्षत गप्ता)
जिलाधिकारो/अध्यक्ष,
जनपद आपदा पबन्धन पाधिकरण,
ऊधमसिह नगर।

आवेदन पत्र संख्याः—　　　　　　　　　　　　　　　　　आवेदन शुल्क रू0 200—00

तहसील...........................
जनपद ऊधम सिंह नगर में
विद्यालय एंव
ग्राम सभा में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

- आवेदक का नाम
- संस्था का नाम
- संस्था का पता
- संस्था का पंजीकरण संख्या
- आवेदक का मोबाइल नं0
- आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक संख्या–882/आ0प्र0प्रा0/2016 दिनांक 29 जनवरी, 2016

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास/कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या–604/PIU/TA&CBDRM/UDRP–2015 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान तथा आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश/शर्तें–

1. जनपद की समस्त तहसीलों/उपतहसीलों के अन्तर्गत ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व तैयारी व जन जागरूकता अभियान संचालित किया जाना है, जिस हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जायेगा।
2. ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम 03 दिवसीय किया जायेगा जिसमें Audio Visul क माध्यम से विभिन्न आपदाओं की जानकारी, खोज व बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तथा ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित किये जाने का कार्य किया जायेगा।
3. विद्यालय स्तर पर 02 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम किया जायेगा, जिसमें प्रथम दिवस आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारी, विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के सम्बन्ध में Audio Visul के माध्यम से जानकारी प्रदान की जायेगी तथा द्वितीय दिवस विद्यालय स्तर पर Mock Drill का आयोजन किया जायेगा।
4. तहसील स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया जायेगा, जिसके माध्यम से स्वयसंवी संस्थाओं द्वारा 04 प्रशिक्षित मानव संसाधन जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनमें से 02 प्रशिक्षक ग्राम स्तरीय तथा 02 प्रशिक्षक विद्यालय स्तरीय जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नियुक्त किये जायेंगे।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात् 05 स्वयंसेवी को नामित कर प्रशिक्षण टीम को उपलब्ध करायेगी, जिनको 07 दिवसीय खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा के गहन प्रशिक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा।
6. ग्राम स्तर पर किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लैपटॉप, प्रोजेक्टर, Public Address System आदि की व्यवस्था चयनित स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
8. जनपद स्तर पर किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण, जन जागरूकता व Mock Drill कार्यक्रम हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारू व सफल संचालन हेतु मूल्यांकन करेंगे।
9. स्वैच्छिक संगठन द्वारा इच्छुक तहसील का नाम दिया जाना अनिवार्य है। एक संगठन अधिकतम दो तहसीलो हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकता है।

10. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने पास उपलब्ध 04 प्रशिक्षकों का विवरण जो आपदा प्रबन्धन, विद्यालय स्तरीय मौक ड्रिल, जन जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों पर प्रशिक्षित हो की शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुतीकरण किया जायेगा तथा संस्था के पास उपलब्ध प्रशिक्षण, जन जागरूकता हेतु आवश्यक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, लैपटॉप, ऑडियो विजवल ऐड आदि का विवरण भी दिया जायेगा।
11. ग्राम स्तर एवं विद्यालय स्तर पर एक तहसील में एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
12. ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण हेतु प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम ₹ 10,000–00 तथा विद्यालय स्तर पर प्रति विद्यालय ₹ 4,000–00 की दर से प्रशिक्षण किया जाना होगा।
13. ग्रामवार तथा विद्यालयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना की प्रति सम्बन्धित ग्राम एवं स्कूल तथा एक प्रति जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।
14. ग्रामवार/विद्यालयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, फीडबैक एवं विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट संकलित कर 02 प्रतियों में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।
15. अभिरूचि प्रपत्र के साथ वित्तीय निविदा पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
16. वित्तीय निविदा प्रपत्र अभिरूचि प्रपत्र में चाही गयी सूचनाओं/अर्हता के पूर्ण करने पर ही खोला जायेगा।
17. ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको पूर्व में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राम स्तरीय कार्ययोजनायें बनाने का अनुभव हो।
18. स्वैच्छिक संगठनों के चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
19. उक्त समस्त ग्राम स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण, जन जागरूकता व Mock Drill कार्यक्रम शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही संचालित किये जायेंगे।
20. ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिन्हे तहसील में कार्य करने का मौका दिया गया है, उनके द्वारा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जनपद से ब्लैक लिस्टिड कर दिया जायेगा।

उपरोक्त विषयक चयनित संस्थायें अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव 04 प्रशिक्षकों एवं दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय, ऊधमसिंह नगर के सभागार में दिनांक 10.02.2016 अपरान्ह 02:00 बजे से चयन एवं समन्वयन समिति के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय गठित समिति का होगा।

(अक्षत गुप्ता)
अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर।